अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 02/2021-सीमाश्ल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 82(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7219 या 7220 के अंतर्गत "कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्डड् स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद" (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अपने अंतिम निष्कर्षों को, अधिसूचना सं. 14/18/2015-डीजीएडी तारीख 4 जुलाई, 2017 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिशुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (सीवीडी) तारीख 7 सितंबर, 2017 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिशुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1137(अ) तारीख 7 सितंबर, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थातु:--

''परंतु उक्त प्रतिशुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरय]

राजीव रंजन. अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (सीवीडी) तारीख 7 सितंबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.1137(अ), तारीख 7 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 02/2021-Customs (CVD)

G.S.R. 82(E).—Whereas, in the matter of import of 'Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 7219 or 7220 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/18/2015 - DGAD, dated the 4th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary,

Part I, Section 1, dated the 4th July, 2017, had recommended imposition of definitive countervailing duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive countervailing duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017 Customs (CVD), dated the 7th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 1137 (E), dated the 7th September, 2017 (hereinafter referred to as the said notification);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 2 and before the Explanation, the following proviso shall be inserted with effect from the 2nd day of February, 2021, namely:-

"Provided that the said countervailing duty shall not be levied for the period commencing from the 2nd day of February, 2021 to the 30th day of September, 2021.".

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No. 01/2017 Customs (CVD), dated the 7th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1137(E), dated the 7th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 01/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 83(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सं. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

- 1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-
- (i) क्रम सं. 2 के सामने.-
 - (क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "1.40 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "2.60 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 3 के सामने,-
 - (क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "1.80 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "4.20 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	2710	5% सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्रण है,-	शून्य" ;
		(i) जो 95% मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पेट्रोल के रुप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5% एथनॉल जिस पर,	